

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 32/2022

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. श्री रावाराम पुत्र श्री देवाजी घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
3. श्री नाथुराम पुत्र श्री देवाजी घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद सिरौही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.03.2024



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो व तीन के हक में जारी पट्टा संख्या 5097 दिनांक 10.12.2019 क्षेत्रफल 202.5 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद, सिरौही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो व तीन को नियमों के विपरित पट्टा जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा गैर आवासीय मकान का विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विधिविरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राज. पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 154 की पूर्ण अवहेलना करते हुए विक्रय विलेख जारी किया गया है। यह है कि नियम 146 के अन्तर्गत भूमि का मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड

जिला कलक्टर, सिरौही

पंचों की मौका कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण में प्रार्थी का पुराना मकान बताया गया एवं परिवाद की जांच करने पर व भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर पक्की दुकान निर्मित है, जिसका वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अपने पद की अधिकारिता से परे जाकर पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो व तीन को लाभ देने की नियत से पंचायतीराज नियमों की अनदेखी करते हुए दूषित कार्यवाही कर दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाकर उक्त विक्रय विलेख जारी किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो व तीन के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 5097 दिनांक 10.12.2019 क्षेत्रफल 202.5 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध में उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या-एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमों के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-दो द्वारा इस संबंध में कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नहीं की गई है। यह है कि पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो का पुराना मकान बना हुआ होने से एवं पुराना कब्जा मौके पर होने से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में आवासीय भूमि का ही विक्रय विलेख जारी किया गया है एवं उक्त आवासीय मकान में किसी भी प्रकार से वाणिज्यिक उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि कोरोना काल होने से एवं अप्रार्थी संख्या दो बेरोजगार होने से अपने परिवार के लालन पालन के लिए उक्त मकान में छोटा मोटा सामान बेचा जा रहा है। प्रार्थी ने बिना जांच पडताल किए आवासीय मकान को नहीं बताकर कानूनी व वाक्यातन भूल करते हुए निगरानी पेश की है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में आवासीय भूमि का ही विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, जिसकी अप्रार्थी संख्या दो नियमानुसार पात्रता रखता था, उसके ही आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में इनको जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या तीन बहस हेतु नियत दिनांक को भी उपस्थिति नहीं दी गई।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

जिला कलेक्टर, सिरौही

अप्रार्थी संख्या दो व तीन को उक्त विवादित पट्टा संख्या 5097 दिनांक 10.12.2019 क्षेत्रफल 202.5 वर्गफुट सरपंच ग्राम पंचायत, झाड़ौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत रूपए 200/- की राशि लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार-

**157.-पुराने गृहों का विनियमितकरण-** जहाँ व्यक्ति आवादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहाँ उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत सन्निर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सन्निर्मित क्षेत्रफल:
- क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये सन्निर्मित पुराने गृहों के लिए।
- ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सन्निर्मित पुराने गृहों के लिए।

चूँकि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृहों का पट्टा जारी किया जाता है, परन्तु श्री वीरेन्द्र व्यास अतिरिक्त विकास अधिकारी जिला परिषद सिरौही, श्री जगदीश सुथार सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरौही एवं श्री कालूराम खौड अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरौही द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 12.03.2021 में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा जिस मकान का पट्टा जारी किया गया है, उनका उपयोग प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा दौराने बेहस रूप में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे संख्या 5097 दिनांक 10.12.2019 क्षेत्रफल 202.5 वर्गफुट का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा है। अतः इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या दो व तीन द्वारा उक्त विवादित पट्टे के भूखण्ड पर व्यावसायिक कार्य किया जा रहा है, जिसका पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी नहीं किया जा सकता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा गठित तीन सदस्य कमेटी, जिसमें श्री अशोक कुमार कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पिण्डवाडा, श्री देवाराम सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा एवं श्री चुन्नीलाल घांची सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा शामिल थे, उक्त तीन सदस्य कमेटी द्वारा बनाई गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट, जो जरिए पत्र क्रमांक/पसपि/2021/527 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरौही को भेजी गई थी, उक्त रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर पक्की दुकान का निर्माण किया हुआ है, जिसमें किराणा की दुकान संचालित की जाकर उसका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने आवास गृहों का पट्टा दिए जाने का प्रावधान है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार पट्टा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दिया जाना पाया जाता है। अतः विवादित पट्टे की भूमि का उपयोग व्यावसायिक होने से उक्त भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा आम नीलामी के द्वारा नीलामी की जानी चाहिए थी, परन्तु ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या दो व तीन के हक में नियम 157(1) के तहत उक्त विवादित पट्टा जारी


जिला कलेंक्टर, सिरौही

किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति नोटिस किस स्थल पर एवं किसके द्वारा चरपा किया यह स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे उक्त पट्टे की कार्यवाही पर संदेह पैदा होता है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अपने अधिकारों से विपरीत जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से सरपंच ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को यह न्यायालय न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 5097 दिनांक 10.12.2019 क्षेत्रफल 202.5 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(शुभम चौधरी)  
जिला कलक्टर, सिरोही